[श्री कुं० कृ० वर्मा]

एक साल की सजा या जुर्माना जो कि ५०० रुपये तक था, करने की व्यवस्था थी, उसके देखने से जाहिर होता है कि एक तरफ तो मानव जाति के साथ में उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था, आघात पहुंचाया जा रहा था और जो व्यक्ति इतना बड़ा अपराध करता था उसके लिए नाम मात्र की सजा रक्खी गई थी। लेकिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ और हमें अपने देशवासियों के स्वास्थ्य के लिए, उनकी जिंदगी के लिए ज्यादा चिन्ता हुई, ज्यादा लगन इस बात की पैदा हुई कि हम अपने देशवासियों के स्वास्थ्य की तरफ अधिक ध्यान दें, इस लिहाज से कुछ बीच में तरमीमें की गईं और इस एक्ट में संशोधन किये गये और सन् ६२ में और वह सजा जिसे कि मैंने अभी बयान किया है, उसमें थोड़ी सी सख्ती लाई और जहां पर यह रक्खा गया कि हम सजा जो दे सकते हैं वह एक साल की या खाली जुर्माना कर सकते हैं, उसमें संशोधन करके यह अनिवार्य रख दिया गया कि कैद की सजा जरूरी है और जुर्माना उस के ऊपर हो सकता है। अब जैसे जैसे हमारी निगाह उस तरफ जा रही है हम उसमें और ज्यादा सख्ती वर्त्तना चाहते हैं और यह तो खैर सभी लोग मानते हैं कि अपने देश में भ्रष्टाचार अधिक बढ़ रहा है और यह भ्रष्टाचार जो बढ़ रहा है वह हर क्षेत्र में, हर जगह वह चीज नजर आती है और वही चीजे हमारी दवाइयों के बनाने में उनमें अशुद्ध वस्तुएं मिलाने की एक मनोवृत्ति आज फैल गयी है। मिलावट करने की प्रवृत्ति वहां भी अधिक होती जा रही है। इस लिहाज से यह जरूरी है कि हम ज्यादा सख्ती बत्त लेकिन जहां इस बिल में बचनेवालों और बनाने वालों के लिए सख्ती रक्खी गई है, वहां बाहर से जो दवाएं आती हैं और लोग उनको ले आते हैं, जोकि स्टैन्डड दवाएं नहीं समझी जाती हैं और जोकि मना की गई हैं कि हमारे देश में ऐसी दवाएं न लाई जायें, उन के बारे में मैं यह देखता हूं कि अभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया है। जो उस एक्ट में धाराएं थीं, १३ और १४, वही हूबहू इसमें कायम रक्खी गई है और उस तरफ हम कोई कदम नहीं उठा रहे हैं कि उसमें भी हम थोड़ी सी सख्ती बर्त्तें। हम बाहर से यहां अपने देश में अशुद्ध दवाएं लाने देते हैं जोकि हानिकारक हैं और उन के लिए अगर हम सिर्फ वही पुरानी बात यानी केवल एक साल की सजा या थोड़ा सा जुर्माना कर देने की बा। कायम रखते हैं तो वहां दूसरे देशों से व अपने इस देश में वह दवाएं ले आते हैं और जाहिर है कि उस से वे हजारों, लाखों और करोड़ों रुपये का मुनाफा कमाते हैं, अगर हमने उनके ऊपर इस तरह से कुछ थोड़ा सा जुर्माना कर दिया तो मैं समझता हूं कि यह चीज काफी नहीं साबित होने वाली है। मैं आशा करता हूं कि ज्वाइंट कमेटी के लिए जो प्रस्ताव किया जा रहा है उस में इस बात पर ध्यान दिया जायगा कि उस ओर भी हम सख्त कदम उठायें ताकि लोग अशुद्ध दवाएं बाहर से हमारे देश में न ला सकें।

Mr. Deputy-Speaker: Will the hon. Member take some more time?

Shri K. K. Verma: Yes, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: Then he may continue on the next day. The House will now take up non-official business.

14.30 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(*Amendment of article* 171) *by Shri Sezhiyan*

Shri Sezhiyan (Perambalur): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution . . .

*Published in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 2, dated 13-9-63.

Shri Ranga (Chittoor): What is this, Sir,

Mr. Deputy-Speaker: Introduction of a Bill. The introduction is not opposed.

The question is:

> "That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

Shri Sezhiyan: I intoduce the Bill.

14.31 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL—*contd.*

(*Amendment of sections* 15, 30 *etc.*) *by Shri P. L. Barupal*

Mr. Deputy-Speaker: The House will now proceed with the further consideration of the following motion moved by Shri Panna Lal Barupal on the 30th August, 1963:—

> "That the Bill further to amend the Companies Act, 1956, be taken into consideration."

Out of one hour allotted, five minutes have been taken and fifty-five minutes are left.

Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad): May I ask, Mr. Deputy-Speaker, how much time has been allotted to the other two Bills?

Mr. Deputy-Speaker: One and a half hours for Shrimati Lakshmikanthamma's Bill, one hour for Shri Shree Narayan Das's Bill, and then comes your Bill for which one and a half ours has been allotted.

Shri Hari Vishnu Kamath: That means, if I could speak for one minute today then it can continue in the next session.

Mr. Deputy-Speaker: I do not know. It all depends upon the progress of the other Bills.

I think Mr. Barupal has finished. Shri Kachhavaiya

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र, श्री पन्नालाल बारूपाल, ने जो विधेयक सदन के सामने रखा है, वास्तव में अगर वह शासन की ओर से रखा जाता, तो बहुत अच्छा होता इस विधेयक के द्वारा माननीय सदस्य ने इस बात की मांग की है कि इस समय फैक्टरियों से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी कानून अंग्रेजी में छपते हैं, उन को हिन्दी में छापना प्रारम्भ किया जाये । अगर शासन की ओर से इस विधेयक को स्वीकार कर लिया जायगा और फैक्टरियों से सम्बन्धित सब कानूनों को हिन्दी में भी छापा जायगा, तो मेरा विश्वास है कि देश भर में हर मजदूर अपने अधिकार, अपने कर्त्तव्य और अपने से सम्बन्ध रखने वाले कानून को समझने लगेगा । इस से उस में विश्वास पैदा होगा और हमारे देश के उत्पादन में भी काफी तरक्की होगी ।

आज होता यह है कि मजदूरों के तमाम कानून अंग्रेजी में छपते हैं, परन्तु हमारे देश में अधिकांश संख्या ऐसे मजदूरों की है, जो कि अंग्रेजी नहीं जानते हैं । अंग्रेजी जानने वाले मजदूर कम हैं और अधिकतर मजदूर या तो पढ़े-लिखे नहीं हैं और या हिन्दी पढ़े-लिखे हैं । मैं शासन से बहुत नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हिन्दी में सब कानून छापने के साथ ही साथ यह व्यवस्था और करनी चाहिए कि सब फैक्टरियां, चाहें वे सरकारी हों और चाहे गैर-सरकारी, इन कानूनों को संक्षेप में छपवा कर अपने मजदूरों को दें ताकि मजदूर समझें कि वास्तव में हमारे अधिकार क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए ।